रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02112020-222893
CG-DL-W-02112020-222893

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, अक्तूबर 25—अक्तूबर 31, 2020, शनिवार / कार्तिक 3 —कार्तिक 9, 1942
No. 33] NEW DELHI, OCTOBER 25—OCTOBER 31, 2020, SATURDAY/KARTIKA 3— KARTIKA 9, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(रोजगार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 157.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और(i) रोजगार निदेशालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (उप प्रादेशिक रोजगार अधिकारी और सहायक रोजगार अधिकारी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अध्यापन एवं मार्गदर्शन केंद्र) समूह-ख पद भर्ती नियम 2003;(ii) प्रशिक्षण सह मार्गदर्शन केंद्र (समूह-ग और घ पद) भर्ती नियम, 2004 जहां तक इनका संबंध अनुदेशक (आशुलिपि)

से है और उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय,रोजगार निदेशालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर में उप-प्रादेशिक रोजगार अधिकारी, सहायक रोजगार अधिकारी और अनुदेशक (आशुलिपि)पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखितनियम बनाते है,अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रोजगार महानिदेशालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नेशनलकैरियरसर्विससेंटर(समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमो से उपबाद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट रूप से लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स मे स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.उप-प्रादेशिक रोजगार अधिकारी	25* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख'राजपत्रित, (अनुसचिवीय)	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन पद	30 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीखसंघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञाप्ति की जायेगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सेसमाज कल्याण या समाज कार्य या श्रम कल्याण या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या वाणिज्य या शिक्षा में मास्टर् डिग्री। (ii) (क) आंकड़ो के संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन या समाजिक-आर्थिक अन्वेषण या जनांकिकीय आंकड़े, रोजगार और जनशक्ति समस्याओं से संबंधी अनुसंधान या (ख) रोजगार सेवा प्रचालन जिसके अंतर्गत रोजगार बाजार सूचना भी है या (ग) व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार संबंधी परामर्श या (घ) कार्मिक संगठन और प्रबंध संबंधी मामलों में तीन वर्ष का अनुभव **वांछनीयः** कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान **टिप्पण 1:-** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों केअभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु: नही शैक्षिक अहर्ताएं: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	20% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है (आईएसटीसी) और 80%प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है (आईएसटीसी)/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर के सहायक रोजगार अधिकारी ने स्तर 6 की श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ प्रोन्नति पद के उन्हीं कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के अधीन नेशनल इंस्टिट्यूट फोर कैरियर सर्विसस नोएडा या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर से दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1**:अर्हकसेवा, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से नियमित आधार पर सहायक रोजगार अधिकारी के पोषक पद को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए सतत तीन वर्ष की होगी। **टिप्पण 2**:जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा (आईएसटीसी) भी है। /आमेलन** केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, सरकारी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारीः (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में या सदृश नियमित	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए,जिसमेंनिम्नलिखित होंगे:-** 1. रोजगार महानिदेशक, रोजगार महानिदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय **-अध्यक्ष** 2. रोजगार निदेशक, रोजगार निदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय **-सदस्य** 3. उप सचिव, रोजगार महानिदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय **- सदस्य** 4. उप सचिव (प्रशासन), श्रम और रोजगार मंत्रालय (मुख्य) **-सदस्य** **समूह 'ख'विभागीय पुष्टिसमिति, पुष्टि के संबंध में विचार करने केलिए, जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** 1. रोजगार महानिदेशक, रोजगार महानिदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय **- अध्यक्ष** 2. रोजगार निदेशक, रोजगार निदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय **- सदस्य** 3. उप सचिव, रोजगार महानिदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय **- सदस्य** 4. उप सचिव (प्रशासन), श्रम और रोजगार मंत्रालय (मुख्य) **-सदस्य**	सीधे भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है। **और** (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण1:**केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही केवल आमेलन के लिए विचार में लिया जायेगा। **टिप्पण** 2:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण** 3:-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.सहायक रोजगार अधिकारी	10* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख'राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर के उच्च श्रेणी लिपिक ने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में उसी श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या वाणिज्य या शिक्षा इनमें से किसी एक विषय के साथ स्नातक डिग्री की हो और प्रोन्नति पद के उन्हीं कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के अधीन नेशनल इंस्टिट्यूट फोर कैरियर सर्विसस	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए,जिसमेंनिम्नलिखत होंगे:-** 1. रोजगार महानिदेशक, रोजगार महानिदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय **-अध्यक्ष** 2. रोजगार निदेशक, रोजगार निदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय **- सदस्य** 3. उप सचिव, रोजगार महानिदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय **- सदस्य** 4. उप सचिव (प्रशासन), श्रम और रोजगार मंत्रालय (मुख्य) **-सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

नोएडा या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर से दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण**:जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारीः (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है या (ii) जिन्होंने मूल काडरया विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रु.) या उसके समतुल्य नियमिति आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो **और** (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता होः- **आवश्यक :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समाज कल्याण या समाज कार्य या समाजशास्त्र या श्रम कल्याण या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या वाणिज्य या शिक्षा में मास्टर्स डिग्री। (ii) (क) आंकड़ो के संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन या सामाजिक-आर्थिक अन्वेषण या जनांकिकीय आंकड़े, रोजगार और जनशक्ति समस्याओं से संबंधी अनुसंधान या (ख) रोजगार सेवा प्रचालन जिसके अंतर्गत रोजगार बाजार सूचना भी है या	**समूह 'ख'विभागीय पुष्टिसमिति, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए, जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** 1. रोजगार महानिदेशक, रोजगार महानिदेशालय- **अध्यक्ष** श्रम और रोजगार मंत्रालय 2. रोजगार निदेशक, रोजगार निदेशालय **- सदस्य** श्रम और रोजगार मंत्रालय 3. उप सचिव, रोजगार महानिदेशालय **- सदस्य** श्रम और रोजगार मंत्रालय 4. उप सचिव (प्रशासन), श्रम और रोजगार मंत्रालय (मुख्य) **-सदस्य**	

(ग) व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार संबंधी परामर्श या (घ) कार्मिक संगठन और प्रबंध संबंधी मामलों में दो वर्ष का अनुभव वांछनीयः कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान **टिप्पण**1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण**2:-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.अनुदेशक (आशुलिपि)	15* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर- 6: (35400-12400 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञाप्ति की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यासंस्थान से स्नातक डिग्री की हो। (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या राष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद से सचिवालय पद्धति या वाणिज्यिक पद्धति में डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/ विश्वविद्यालय से आशुलिपि में प्रमाण पत्र	लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरी जा सकेगी और

कौशल परीक्षण मानकः श्रुतलेख: 10 मिनट अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन: कम्प्यूटर पर 50 मिनट (ग) अनुदेशक आशुलिपि के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीयः (i) हिंदी में या प्रादेशिक भाषाओं में से किसी एक में आशुलिपि का ज्ञान (स्थानीय भाषा प्रत्येक चयन के समय पर विनिदिष्ट की जाएगी)। (ii) कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण**2: अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं)कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारीके विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रव्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. रोजगार महानिदेशक, रोजगार महानिदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय **-अध्यक्ष** 2. रोजगार निदेशक, रोजगार निदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय **-सदस्य** 3. उप सचिव, रोजगार महानिदेशलाय श्रम और रोजगार मंत्रालय **- सदस्य** 4. उप सचिव (प्रशासन) श्रम और रोजगार मंत्रालय (मुख्य) **-सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. डीजीई-ए-12018/02/2017-ईई-III]

सत्येन्द्र बहादुर सिंह, उप महानिदेशक (रोजगार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT)

New Delhi, the 29th October, 2020

G.S.R. 157 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of:

(i) Directorate of Employment, Directorate General of Employment and Training (Sub-Regional Employment Officer and Assistant Employment Officer, Coaching cum Guidance Centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Group-B posts Recruitment Rules, 2003;

(ii) Coaching-cum-Guidance Centre (Group 'C' 'D' posts) Recruitment Rules, 2004 in so far as they relate to the post of Instructor Stenography;

and, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Sub-Regional Employment Officer, Assistant Employment Officer and Instructor Stenography in the National Career Service Centres for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Directorate of Employment, Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Directorate General of Employment, National Career Service Centres for Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of post, classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications etc. and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualifications.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Sub Regional Employment Officer	25* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 7 (Rs.44900 – 142400)	Selection post	30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

					Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other Qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's Degree in Social Welfare or Social Work or Sociology or Labour Welfare or Economics or Statistics or Psychology or Commerce or Education of a recognized University; (ii) Three years' experience in matters pertaining to: (a) Collection, analysis and interpretation of data or socio-economic investigation or research relating to demographic, employment and manpower problems; or (b) Employment Service Operations including Employment Market Information; or (c) Vocational Guidance and Employment Counselling; or (d) Personnel Organization and Management. **Desirable:** Knowledge of Computer Operation. **Note** 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note** 2: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from	**Age**: No. **Educational Qualification:** No.	Two years for direct recruits	20% by promotion failing which by deputation including short term contract (ISTC); and 80% by deputation including short term contract (ISTC) /absorption failing which by direct recruitment.

these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of recruitments by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted while making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Employment Officers of the National Career Service Centres for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Level 6 with five years regular service in the grade having successfully completed two weeks of training in the field of duties and responsibilities of the promotional post, as decided by Ministry of Labour and Employment, from the National Institute for Career Services, Noida or at any of the National Career Service Centres for SC/ST under the Directorate General of Employment. **Note 1**: The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the feeder post of Assistant Employment Officer on regular basis as on the date of notification of these rules. **Note 2**: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation Including Short Term Contracts (ISTC)/Absorption:** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories, Autonomous Bodies or Statutory Organisations, Public Sector Undertakings, Government Universities or Recognised Research Institutions:	**Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion consists of:** 1. Director General of Employment, Directorate General of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Chairman** 2. Director of Employment, Directorate of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Member** 3. Deputy Secretary, Directorate General of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Member** 4. Deputy Secretary (Administration), Ministry of Labour & Employment (Main) - **Member** **Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consists of:** 1. Director General of Employment,Directorate General of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Chairman** 2. Director of Employment, Directorate of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Member** 3. Deputy Secretary, Director General of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Member** 4. Deputy Secretary (Administration), Ministry of Labour & Employment (Main) - **Member**	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' regular service in Level 6 of the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7. **Note 1:** The Central Government or State Government or Union territories officers shall only be considered for absorption. **Note 2**: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Employment Officer	10* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 6 (Rs.35400 – 112400)	Selection Post	Not Applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not applicable	Two Years for promotees	Promotion failing which deputation/absorption

(11)	(12)	(13)
Promotion: Upper Division Clerks of National Career Service Centres for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Level 4 (Rs.25500 – 81100) of the pay matrix with ten years regular service in the grade; and	**Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion consists of:** 1. Director General of Employment, Directorate General of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Chairman** 2. Director of Employment, Directorate of Employment, Ministry of Labour &	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

possessing Bachelor's Degree with Sociology or Economics or Statistics or Psychology or Commerce or Education as one of the subjects; and having successfully completed two weeks of training in the field of duties and responsibilities of the promotional post, as decided by the Ministry of Labour and Employment, from the National Institute for Career Services, Noida or at any of the National Career Service Centres for SC/ST under the Directorate General of Employment. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation/Absorption:** Officers of the Central Government, State Governments or Union territories: **a)** (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 5 (Rs.29200-92300) of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department; or **and** (b) Possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) Master's Degree in Social Welfare or Social Work or Sociology or Labour Welfare or Economics or Statistics or Psychology or Commerce or Education of a recognized University or Institute; (ii) Two years' experience in	Employment - **Member** 3. Deputy Secretary, Directorate General of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Member** 4. Deputy Secretary (Administration), Ministry of Labour & Employment (Main) - **Member** **Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consists of:** 1. Director General of Employment, Directorate General of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Chairman** 2. Director of Employment, Directorate of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Member** 3. Deputy Secretary, Director General of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Member** 4. Deputy Secretary (Administration), Ministry of Labour & Employment (Main) - **Member**	

matters pertaining to: (a) Collection, analysis and interpretation of data or socio-economic Investigation or research relating to demographic, employment and manpower problems; or (b) Employment Service Operations including Employment Market Information; or (c) Vocational Guidance and Employment Counselling; or (d) Personnel Organization and Management. Desirable: Knowledge of Computer Operation. **Note 1**: The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Instructor (Stenography)	15* (2020) *(Subject to variation dependent upon workload)	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 6 (Rs.35400-112400)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) A Bachelor's Degree from a recognized University or Institute. (b) Diploma in Secretarial Practice or Commercial Practice from recognized institution or National Council for Training in Vocational Trades Certificate in Stenography from Recognised Institute/Board/University. **Skill Test Norms:** Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute in English. Transcription: 50 minutes on Computer. (c) Three years' experience as Instructor Stenography. **Desirable:** (i) Knowledge of Stenography in Hindi or in one of the regional languages. (Local language shall be specified at the time of each selection). (ii) Knowledge of Computer Operation. **Note** 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two Years	By direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consists of:** 1. Director General of Employment, Directorate General of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Chairman** 2. Director of Employment, Directorate of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Member**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	3. Deputy Secretary, Director General of Employment, Ministry of Labour & Employment - **Member** 4. Deputy Secretary (Administration), Ministry of Labour & Employment (Main) - **Member**	

[F. No.DGE-A-12018/02/2017-EE-III]

SATYENDRA BAHADUR SINGH, Deputy Director General (Employment)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM